न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/15/2001	02.02.2001	05.08.2019

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़
2. रतन सिंह पुत्र गंगाबक्श (मृतक)।
   2/1 हुकमसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/2 नरेन्द्र सिंह पुत्र रतनसिह गुर्जर
   2/3 कमलसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/4 मोहनसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर (मृतक)
   2/4/1 श्रीमती पिंकी बेवा स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/2 बेबी शैली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी पत्नी मोहन सिंह ।
   2/4/3 बेबी डोली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर, नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी पत्नी मोहन सिंह ।
   2/4/4 मास्टर रोहित पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह गुर्जर, नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी पत्नी मोहन सिंह ।
   2/5 श्रीमती ललता देवी बेवा रतन सिंह
3. किशन सिंह पुत्र गंगाबक्श जाति गुर्जर (मृतक)
   3/1 श्रीमती शीला पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/2 कविता उर्फ किरण पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/3 मु0 गायत्री पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/4 मु0 सविता पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/5 रेखा पत्नी किशन सिंह गुर्जर (फौत)
   3/6 ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर जातियान गुर्जर निवासीयान चौरोटी पहाड तहसील रामगढ

...............................वादीगण

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   1/1 सोभागसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/2 गोपालसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/3 धारासिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/4 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/5 बहादुरसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/6 हरिबाई पुत्री स्व0 देवीसिंह
   1/7 उर्मिला पुत्री स्व0 देवीसिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. विजयसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   2/1 रमेश चन्द उर्फ रम्मी पुत्र विजय सिंह (मृतक)
   2/2 राजू पुत्र विजय सिंह

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

2/3 निम्मा स्त्री मोहनलाल पुत्री विजय सिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

................असल प्रतिवादीगण

(दावा दिलाये जाने दखल बाबत)

उपस्थित अभिभाषकगण –
1. श्री धर्मपाल चौधरी एडवोकेट – वादीगण
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी सं0 1 के पिता का स्वर्गवास सन् 1958 में हो गया। उस वक्त वादी करीब 11 साल की उम्र का नाबालिग था और करीब 17–18 साल की उम्र होते ही वादी भारतीय फौज में नौकर हो गया। और अब भी वादी सं0 1 भारतीय फौज में सिपाही नम्बर 6321521 है। और सिग्नल कोर में मुलाजिम है तथा एक आर्मी हैड क्वार्टर सिग्नल रेजीमेन्ट देहली में अब भी सेवारत है। वादी सं0 2 व 3 के ति गंगाबक्श की मृत्यु भी करीब सन् 1962 में हो गयी। उस वक्त वादी नम्बर 2 रतनसिंह करीब 10 वर्ष का था, और वादी सं0 3 किशन सिंह करीब 7 साल की उम्र का था। और ये दोनों भी नाबालिग थे। इस प्रकार तीनों वादीगण राजस्थान टीनेन्ट एक्ट की धारा 46(1) में वर्णित क्लाज (एफ) तथा क्लाज (ए) में वर्णित श्रेणी में क्रमशः उस वक्त आते थे। जबकि प्रतिवादीगण जमीन मुतनाजा पर काबिज हुए। वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण तथा गंगाबक्श पिसरान् रूपनाथ सिंह ग्राम चौरोटी पहाड की आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 2.69 हैक्ट0 को खुद काश्त करते थे और बन्दोबस्त सम्वत 2014 में यह आराजी मुतनाजा जो किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा है। वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण वो गंगाबक्श के हवाले की तथा खुद काश्त की कागजात माल में दर्ज थे और उनके मरने के वक्त चूंकि वादीगण नाबालिग थे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

और प्रतिवादीगण बालिग समझदार तथा हमारे ताऊ के लडके थे और कुदरती तौर पर हमारे नाबालिग होने के कारण हमारी उक्त आराजी की देखभाल वो काश्त का प्रबन्ध हम वादीगण की ओर से करते थे। और हम सब एक ही हवेली में रहते थे। इसलिये कागजातमाल में बाद में पटवारी वगैराह ने उपरोक्त आराजी मुतनाजा का हम वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया और प्रतिवादीगण को कागजातमाल में हमारे नाम के नीचे बकाश्त दर्ज करके शिकमी दर्ज कर दिया। जो अमल कागजातमाल में अब तक चला आ रहा है। यद्यपि वादीगण ने कभी भी प्रतिवादीगण को बतौर शिकमी काश्तकार के उक्त आराजी मुतनाजा काश्त करने को नही बतायी और न कभी उनसे इस आराजी का कोई लगान ठहराया, न कभी प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजी का लगान अदा किया। बल्कि इन आराजीयात की पैदावार वादीगण के ही भरण पोषण वो अन्य कामों में आती थी और इस प्रकार प्रतिवादीगण का कब्जा इस भूमि पर बतौर हमारे सरपरस्त और मुखिया परिवार के ही चला आ रहा था। वादीगण ने इस वर्ष आषढ में काश्त कर समय आने से पूर्व प्रतिवादीगण को कहा कि वे आयन्दा इस आराजी को हमारे लिये काश्त का प्रबन्ध नही करें। क्योकि वादीगण स्वयं आराजी मुतनाजा को अपने हिस्सों के मुताबिक यानि वादी सं0 1 के 1/2 भाग और प्रतिवादी सं0 2 व 3 अपने 1/2 भाग के मुताबिक काश्त करेंगे। वादीगण उपरोक्त हिस्से के मुताबिक ही आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार है और हमें वापिस अपनी जमीनों का कब्जा सम्भलवा दें। कुछ दिन तो प्रतिवादीगण यह कहकर कि हम विचार कर रहे है। टालते रहे और आखिर में प्रतिवादीगण ने 16 जून सन् 1977 को जमीन छोडने से इन्कार कर दिया। इस तरह प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा पर 16 जून सन् 1977 को जमीन छोडने से इन्कार करने के बाद से नाजायज बतौर ट्रैसपार्सर कब्जा है। जिसका कि उनहे हम खातेदारान के कहने पर भी न छोडने के कारण नाजायज कब्जा बतौर ट्रैस पार्सर है। और इसलिये भी वादीगण प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल कराकर हस्व दफा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट वापिस कब्जा वो दखल प्राप्त करने के अधिकारी है। और साथ ही लगान के 15 गुना पैनल्टी भी प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। आराजी मुतनाजा की सरकारी लगान 23 रू0 24 पैसे प्रति साल है जो वादीगण्सा पर राज्य सरकार से कायम किया हुआ है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण से 348 रू0 60 पैसे पैनेल्टी प्रति साल की दर से 16 जून सन् 1977 से जब

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

तक कि प्रतिवादीगण वादीगण को कब्जा वापिस नही लौटावे कानूनन पैनेल्टी प्राप्त
करने के अधिकारी है। वादीगण खातेदार है। इसलिए उन्हें प्रतिवादीगण को अपनी उक्त
आराजी मुतनाजा से बेदखल करने व कब्जा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार हांसिल है।
प्रतिवादीगण को हम वादीगण ने अथवा हमारे पिता ने कभी भी काश्त करने को बतौर
शिकमी काश्तकार यह आराजी काश्त करने को नही बतायी। न कभी इस आराजी को
काश्त कर प्रतिवादीगण को बताने के लिये वादीगण ने प्रतिवादीगण से कोई लगान ही तय
किया और न प्रतिवादीगण ने कभी कोई लगान आराजी मुतनाजा पर वादीगण को तय
करके अदा ही किया। और इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण की और से आराजी मुतनाजा
के शिकमी काश्तकारान नही है। किन्तु यदि वे ऐसा होना किसी भी कारण से बतावे और
साबित भी कर दे तो उन्हें कोई हकूक खातेदारी काश्तकारी प्राप्त नही होते क्योकि
वादीगण में से वादी सं0 1 तथा 2 व 3 प्रतिवादीगण को काश्त पर बताने की न तो
योग्यता रखते थे और न प्रतिवादीगण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के किसी भी प्रावधानों के
अन्तर्गत ही इस आराजी के खातेदार काश्तकार बन सकते थे। क्योकि वादीगण पहले
नाबालिग थे और वादीगण अब भी भारतीय फौज में मुलाजिम है। और प्रतिवादीगण द्वारा
अपने अपको शिकमी काश्तकार साबित कर देने की सूरत में भी वे हद से हद साल बसाल
के काश्तकार है। और उनका साबिक काश्त का साल समाप्त हो चुका है और वर्तमान
चालू काश्त का साल जल्दी ही समाप्त होने वाला है। और वादीगण को आराजी मुतनाजा
की स्वयं के काश्त के लिये आवश्यक तौर पर चाहिये। ताकि वे इस आराजी के आमद से
अपने कुटुम्ब का निर्वाह कर सके। और इसलिए भी प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा से
काबिज बेदखली है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री बेदखली
तथा दिलायी जाने दखल आराजी मुतनाजा सादिर फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर
211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759
रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 912
रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.
24 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 2.69 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला
अलवर की बाबत दी जावें। तथा प्रतिवादीगण से आराजी मुतनाजा पर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

नाजायज कब्जा रखने के कारण 16.06.1977 से वापिस कब्जा प्रतिवादीगण को लौटाने
की तारीख तक 348 रू0 60 पैसे पैनेल्टी प्रतिसाल की दर से दिलायी जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया
गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत
किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि जप्ती बिस्वेदारी राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन
अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त इस आराजी पर
था जो प्रतिवादी सं0 2 इस भूमि का बिस्वेदार था इस कारण यह धारा 29 राजस्थान
बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत इस भूमि का मालिक काबिज काश्तकार खातेदार हो
गया। ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त इस भूमि पर बहैसियत मालिक
काबिज काश्तकार खातेदार के सन् 1959 से है तो दावा वादीगण जो 6.09.77 को किया
गया है जो 17 साल बाद किया गया है। वापसी कब्जे की अवधि 12 साल होती है के
प्रतिकूल है और मियाद बाहर है। आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 13 बिस्वा, 211 रकबा
1 बीघा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6
बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 73 रकबा 14 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा
कुल किता 8 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला
अलवर में स्थित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की बिस्वेदारी की थी जिसमें वादीगण
2/3 हिस्से के बिस्वेदार एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 – 1/3 हिस्से के बिस्वेदार थे और
राजस्थान बिस्वेदारी अधिनियम उन्मूलन रायज होने के दिन इस भूमि पर सालिम पर
प्रतिवादी सं0 02 काश्त करता था और उसका कब्जा काश्त था। इस कारण राजस्थान
बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 29 के तहत प्रतिवादी सं0 2 इस भूमि का
मालिक काबिज काश्तकार खातेदार हो गया। और वोह ही इस भूमि को काबिज
रहकर काश्त करता रहा और जमा सरकारी अदा करता रहा । जिसकी ताईद में
गिरदावरी स्लिप सम्वत 2015 से होती है और वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्थान
बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन से कभी भी इस भूमि को काश्त
नही किया और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के रायज होने के दिन भी इस भूमि पर
हमारा कोई कब्जा काश्त नही था। इस कारण हमारे बिस्वेदारी हकूक राज्य सरकार में
निहित हो गये और प्रतिवादी सं0 2 जो कि इस भूमि पर बिस्वेदारी उन्मूलन रायज होने के

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

दिन काबिज था वह इस भूमि का मालिक काबिज काश्तकार खातेदार हो गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 2 इस भूमि का ट्रैस पार्सर नही रहा । इसलिये वादीगण इस भूमि का दखल प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी सं0 2 मालिक काबिज काश्तकार खातेदार ने इस सालिम भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.11.68 के मिंन प्रतिवादी सं0 1 को बैय कर दी और कब्जा दे दिया तभी से मिन प्रतिवादी सं0 1 इस सालिम भूमि पर बहैसियत खरीददार मालिक काबिज काश्तकार खातेदार के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है एवं जमा सरकारी अदा करता चला आ रहा है और मौके पर मेरा कब्जा है। ऐसी सूरत में मिन प्रतिवादी सं0 1 का विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत ट्रैस पार्सर के कब्जा कभी नही रहा और न है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जब वादीगण का विवादग्रस्त भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता व उनका कोई कब्जा काश्त किसी भी हैसियत से न कभी रहा और न है तो वादीगण मौजूदा स्थिति में मिन प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्तकार खातेदार से इस भूमि विवादग्रस्त का कोई दखल प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण मजाज नालिश नही है और दावा करने से एसटोप्ड है। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जवाब इस प्रकार है कि आराजी मुतनाजा बिस्वेदारी की आराज़ी थी जो हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में थी जो बरोज लागू होने बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम भी हम प्रतिवादीगण के ही कब्जे काश्त में थी कि जिससे मुताबिक प्रावधान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम हम प्रतिवादीगण ही आराजी मुतनाजा पर काबिज होने के कारण आराजी मुतनाजा का मालिक बन चुके है और उक्त कानून के लागू होने के पश्चात वादीगण के आराजी मुतनाजा में अब कोई हकूक शेष नही रहे है जो भी हकूक वादीगण के थे वे राज्य सरकार में निहित हो चुके है। और वादीगण को उसका मुआवजा भी मिल चुका है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर पिछले 20 साल से स्वयं के हकूकों के आधार पर स्वतन्त्रतापूर्वक बिना रोकटोक काबिज चले आ रहे है। जिनके आराजी मुतनाजा में हकूक मुताबिक रेवेन्यू कानून व सिविल कानून पूर्ण हो चुके है कि जिनके बारे में अब 20 साल बाद कोई तनाता नही उठाया जा सकता। वादीगण का दावा बेरून मियाद है। चूंकि मुताबिक कानून कब्जा वापिस के दावा की मियाद 12 साल है कि जिससे दावा स्पष्ट तथा मियाद बाहर है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्वयं के हकूको

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

के आधार पर ही चला आ रहा है ना कि वादीगण के सरपरस्त व मुखिया परिवार के रूप में। आज भी मौजूदा में हम प्रतिवादीगण ही आराजी मुतनाजा पर काबिज है और काश्त करके अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रहे है। अतः वादीगण वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

दावा एवं जवाब दावे के उपरान्त वाद में तनकीयात कायम की गई। जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण तथा गंगाबक्श पिता रघुनाथसिंह ग्राम चौरोटी पहाड में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के खुद काश्त की आराजी थी। तथा उनकी मृत्यु के वक्त चूंकि वादीगण नाबालिग थे और प्रतिवादीगण बालिग थे और आराजीयात पर बतौर काबिज हो गये? ....वादी
2. आया वादी नं0 1 भारतीय फौज में नौकर हो गया था व शेष वादीगण नाबालिग होने से विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। ....वादी
3. आया प्रतिवादीगण दिनांक 16.06.77 से विवादित आराजीयात पर बतौर ट्रैसपासर काबिज है एवं वादीगण प्रतिवादीगण से 1/2 हिस्से का कब्जा व 15 गुणा पेनल्टी 348 रू0 60 पैसे प्रतिसाल की दर से लगान प्राप्त कर करने के मुश्तहक है। ....प्रतिवादीगण
4. आया विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 2 विजयसिंह ने प्रतिवादी सं0 1 देवीसिंह जायज तरीके से बंटवारा कर कब्जा दिया है एवं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा हाजा नही ला सकते। ....प्रतिवादीगण
5. आया विवादित आराजीयात पर बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त था एवं वह बिस्वेदार था तथा अब वह खातेदार काश्तकार हो गया। ....प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)

6. पक्षकारान किस सहायता के अधिकारी है?

वादीगण ने दावे के समर्थन में वादी अमरसिंह, हुकमसिंह ने हलफानामें पेश किये तथा यादराम, टुण्डल, शमशेर खां जो स्वतन्त्र गवाह है उनके भी हलफनामे पेश कराये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फौज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ईएक्स–1, गिरदावरी सम्वत 2031 ईएक्स–2, जमाबन्दी सम्वत 2030 ईएक्स–3, खतौनी बन्दोबस्त ईएक्स–4, निर्णय उपखण्ड अधिकारी, अलवर ईएक्स–5 की प्रमाण्ति प्रति पेश की गई।

प्रतिवादीगण ने कटाक्ष में धारा सिंह तथा पन्ना लाल के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निर्णय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ईएक्सडी–1, घटना बही दिनांक मई 1995 ईएक्सडी–2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–33 ईएक्सडी–3, जमाबन्दी ईएक्सडी–4, दिनांक 07.08.15 को मैने शपथ पत्र पेश किया जिसमें मेरे हस्ताक्षर है। विवादित आरजाी विजय सिंह से खरीदी है। जिसका विक्रय पत्रावली 1/14/2001 में संलग्न है। जो ईएक्सडी–5 है। राजस्व मण्डल राज0 अजमेर का निर्णय दिनांक 10.04.1995 पेश किया जो ईएक्सडी–6 है मेरे जवाब के समर्थन में उपरोक्त दस्तावेजात पेश किये। राजस्व अपील अधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 27.03.1995 पेश किया जो ईएक्सडी–7 पेश किये गये।

वादीगण के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश की। तथा प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि जप्ती बिस्वेदारी राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त इस आराजी पर था जो प्रतिवादी सं0 2 इस भूमि का बिस्वेदार था इस कारण यह धारा 29 राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत इस भूमि का मालिक काबिज काश्तकार खातेदार हो गया। ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त इस भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्तकार खातेदार के सन् 1959 से है तो दावा वादीगण जो 6.09.77 को किया गया है जो 17 साल बाद किया गया है। वापसी कब्जे की अवधि 12 साल होती है के प्रतिकूल है और मियाद बाहर है। विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की बिस्वेदारी की थी जिसमें वादीगण 2/3 हिस्से के बिस्वेदार एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 – 1/3 हिस्से के बिस्वेदार थे और राजस्थान बिस्वेदारी अधिनियम उन्मूलन रायज होने के दिन इस भूमि पर सालिम पर प्रतिवादी सं0 02 काश्त

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

करता था और उसका कब्जा काश्त था। जिसकी ताईद में गिरदावरी स्लिप सम्वत 2015 से होती है और वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन से कभी भी इस भूमि को काश्त नही किया और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के रायज होने के दिन भी इस भूमि पर हमारा कोई कब्जा काश्त नही था। इस कारण हमारे बिस्वेदारी हकूक राज्य सरकार में निहित हो गये और प्रतिवादी सं0 2 जो कि इस भूमि पर बिस्वेदारी उन्मूलन रायज होने के दिन काबिज था वह इस भूमि का मालिक काबिज काश्तकार खातेदार हो गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 2 इस भूमि का ट्रैस पार्सर नही रहा । इसलिये वादीगण इस भूमि का दखल प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी सं0 2 मालिक काबिज काश्तकार खातेदार ने इस सालिम भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.11.68 के मिन प्रतिवादी सं0 1 को बैय कर दी और कब्जा दे दिया तभी से मिन प्रतिवादी सं0 1 इस सालिम भूमि पर बहैसियत खरीददार मालिक काबिज काश्तकार खातेदार के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है एवं जमा सरकारी अदा करता चला आ रहा है और मौके पर मेरा कब्जा है। ऐसी सूरत में मिन प्रतिवादी सं0 1 का विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत ट्रैस पार्सर के कब्जा कभी नही रहा और न है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जब वादीगण का विवादग्रस्त भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता व उनका कोई कब्जा काश्त किसी भी हैसियत से न कभी रहा और न है तो वादीगण मौजूदा स्थिति में मिन प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्तकार खातेदार से इस भूमि विवादग्रस्त का कोई दखल प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण मजाज नालिश नही है और दावा करने से एसटोप्ड है। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने उपरोक्त वाद दिलाये जाने दखल आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0. 78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 2.69 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर की बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय अलवर में दिनांक 06.09.1977 को पेश किया। जो सन् 2001 में स्थानान्तरण होकर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । वादीगण की ओर से अमरसिंह एवं हुकमसिंह ने अपनी साक्ष्य दी एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श डलाये गये। इसी क्रम में प्रतिवादीगण ने धारा सिंह एवं पन्ना लाल की साक्ष्य करवाई एवं अपने दस्तावेजात पर प्रदर्श डालें।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्रों का अध्ययन किया। तथा वादी के विद्वान वकील की लिखित बहस पर मनन किया। तनकीयात निर्णय निम्न प्रकार है–

1. आया वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण तथा गंगाबक्श पित रघुनाथसिंह ग्राम चौरोटी पहाड में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के खुद काश्त की आराजी थी। तथा उनकी मृत्यु के वक्त चूंकि वादीगण नाबालिग थे और प्रतिवादीगण बालिग थे और आराजीयात पर बतौर काबिज हो गये? ....वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी के समर्थन में वादी द्वारा गिरदावरी सम्वत 2031 ईएक्स–2, जमाबन्दी सम्वत 2030 ईएक्स–3, खतौनी बन्दोबस्त ईएक्स–4 पेश तथा प्रदर्श–1 की फौज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें वादी अमरसिंह 1964 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सम्मलित हुए जिनका आर्मी में सिग्नल कोर में नं0 6321521 था। उस समय अरमसिंह की उम्र करीब 17 वर्ष थी। अमरसिंह के पिता का देहान्त 1958 में हो गया था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 11 वर्ष थी। धारा 46 टीनेन्सी एक्ट 1955 का लाभ वादी ने मांगा है जो उचित है। अतः तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादी नं0 1 भारतीय फौज में नौकर हो गया था व शेष वादीगण नाबालिग होने से विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। ....वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादी अमरसिंह 1964 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सम्मलित हुए जिनका आर्मी में सिग्नल कोर में नं0

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

6321521 था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 17 वर्ष थी। अमरसिंह के पिता का देहान्त 1958 में हो गया था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 11 वर्ष थी। वादी रतन सिंह एवं किशन सिंह के पिता की मृत्यु पर उम्र 11 वर्ष एवं 7 वर्ष थी जो नाबालिग थे। आराजीयात में अरमसिंह का 1/2 हिस्सा एवं रतन सिह, किशन सिंह के वारिसानों का 1/2 भाग है। प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार वादीगण द्वारा दिये गये बयानों का खण्डन नही किया है। ऐसा कोई दस्तावेजात भी पेश नही किया है। जिससे वादीगण को धारा 46 का लाभ नही दिया जा सके। जमाबन्दी प्रदर्श –2 व 3 में भी खातेदार की जगह अमरसिंह, किशनसिंह एवं रतन सिंह दर्ज है। व शिकमी देवीसिंह, विजय सिंह दर्ज है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण दिनांक 16.06.77 से विवादित आराजीयात पर बतौर ट्रैसपासर काबिज है एवं वादीगण प्रतिवादीगण से 1/2 हिस्से का कब्जा व 15 गुणा पेनल्टी 348 रू0 60 पैसे प्रतिसाल की दर से लगान प्राप्त कर करने के मुश्तहक है।

....प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में शिकमी को कोई अधिकार नही दिये गये है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2004(2) आरआरटी 895 से प्रतिपादित है। अतः यह तनकी का भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 2 विजयसिंह ने प्रतिवादी सं0 1 देवीसिंह जायज तरीके से बंटवारा कर कब्जा दिया है एवं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा हाजा नही ला सकते।

................प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जब वादीगण को धारा 46 का लाभ दिये जाने पर उपरोक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा अवैध है जो एडवर्स पजेशन और ट्रेस पार्सर की श्रेणी में आता है। ट्रेस पार्सर / एडवर्स पजेशन को किसी भी प्रकार से वैद्य नही माना जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में 2012(1) आरजे 271 पैरा 47 से 52 तक प्रतिपादित किया है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

5. आया विवादित आराजीयात पर बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन प्रतिवादी सं0 2 का कब्जा काश्त था एवं वह बिस्वेदार था तथा अब वह खातेदार काश्तकार हो गया। ....प्रतिवादीगण

6. पक्षकारान किस सहायता के अधिकारी है?

तनकी सं0 1 ला0 4 वादी के पक्ष के साबित होने से तनकी सं0 5 व 6 प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से यह सिद्ध करने में सफल नही हुए कि उपरोक्त आराजीयात पर उनका वैद्य कब्जा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादीगण ने प्रदर्श–1 फौज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें वादी अमरसिंह 1964 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सम्मलित हुए जिनका आर्मी में सिग्नल कोर में नं0 6321521 था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 17 वर्ष थी। अमरसिंह के पिता का देहान्त 1958 में हो गया था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 11 वर्ष थी। धारा 46 टीनेन्सी एक्ट 1955 का लाभ वादी ने मांगा है जो उचित है।

इसी प्रकार वादी रतन सिंह एवं किशन सिंह के पिता की मृत्यु पर उम्र 11 वर्ष एवं 7 वर्ष थी जो नाबालिग थे इनको भी धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का लाभ दिया जाना उचित है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अरमसिंह का 1/2 हिस्सा एवं रतन सिह, किशन सिंह के वारिसानों का 1/2 भाग है। प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार वादीगण द्वारा दिये गये बयानों का खण्डन नही किया है। ऐसा कोई दस्तावेजात भी पेश नही किया है। जिससे वादीगण को धारा 46 का लाभ नही दिया जा सके। जमाबन्दी प्रदर्श –2 व 3 में भी खातेदार की जगह अमरसिंह, किशनसिंह एवं रतन सिंह दर्ज है। व शिकमी देवीसिंह, विजय सिंह दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में शिकमी को कोई अधिकार नही दिये गये है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2004(2) आरआरटी 895 से प्रतिपादित है।

उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा अपना कब्जा बताया गया है एवं वादीगण ने भी उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया है। लेकिन देखना यह है कि कब्जा लींगल है या अनलींगल ।

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)

वादीगण को धारा 46 का लाभ दिये जाने पर उपरोक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा अवैध है जो एडवर्स पजेशन और ट्रेस पार्सर की श्रेणी में आता है।

ट्रेस पार्सर / एडवर्स पजेशन को किसी भी प्रकार से वैद्य नही माना जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में 2012(1) आरजे 271 पैरा 47 से 52 तक प्रतिपादित किया है।

प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से यह सिद्ध करने में सफल नही हुए कि उपरोक्त आराजीयात पर उनका वैद्य कब्जा है।

आदेश

अतः दावा डिक्री कर तहसीलदार रामगढ को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त आराजीयात में बकाश्त देवीसिंह, विजयसिंह पिता गणपतसिंह समान भाग सा० देह शिकमी का नाम तर्क कर आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर से प्रतिवादीगणों को बेदखल कर खातेदार अमरसिंह 1/2 भाग एवं रतन सिंह के 1/4 भाग में उसके वारिसान हुकमसिंह, नरेन्द्रसिंह, कमलसिंह, मोहन सिंह की बीवी पिंकी एवं तीन नाबालिग पुत्र एवं पुत्रियान रोहित, शैली, डोली जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी, रतन सिंह की पत्नी ललता देवी को, किशन सिंह के 1/4 भाग में उसके वारिसान श्रीमती शीला, श्रीमती गायत्री, सविता, कविता उर्फ किरण पुत्रियान एवं ईश्वरी सिंह पुत्र को जमाबन्दी के अनुसार उनके हिस्से पर कब्जा दिलाया जावें। रिसीवर के दौरान प्राप्त समस्त राशि को जमाबन्दी अनुसार उनके हिस्से की राशि का भुगतान कर दिया जावें। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.08.19

महेश चन्द्र मान
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा
1/15/2001

तारीख रजू
02.02.2001

तारीख निर्णय(पर्चा डिक्री)
05.08.2019

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़
2. रतन सिंह पुत्र गंगाबक्श (मृतक)।
   2/1 हुकमसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/2 नरेन्द्र सिंह पुत्र रतनसिह गुर्जर
   2/3 कमलसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/4 मोहनसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर (मृतक)
   2/4/1 श्रीमती पिंकी बेवा स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/2 बेबी शैली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी पत्नी मोहन सिंह ।
   2/4/3 बेबी डोली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर, नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी पत्नी मोहन सिंह ।
   2/4/4 मास्टर रोहित पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह गुर्जर, नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी पत्नी मोहन सिंह ।
   2/5 श्रीमती ललता देवी बेवा रतन सिंह
3. किशन सिंह पुत्र गंगाबक्श जाति गुर्जर (मृतक)
   3/1 श्रीमती शीला पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/2 कविता उर्फ किरण पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/3 मु0 गायत्री पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/4 मु0 सविता पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/5 रेखा पत्नी किशन सिंह गुर्जर (फौत)
   3/6 ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर जातियान गुर्जर निवासीयान चौरोटी पहाड तहसील रामगढ

..............................वादीगण

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   1/1 सोभागसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/2 गोपालसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/3 धारासिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/4 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/5 बहादुरसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/6 हरिबाई पुत्री स्व0 देवीसिंह
   1/7 उर्मिला पुत्री स्व0 देवीसिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. विजयसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   2/1 रमेश चन्द उर्फ रम्मी पुत्र विजय सिंह (मृतक)
   2/2 राजू पुत्र विजय सिंह

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

2/3 निम्मा स्त्री मोहनलाल पुत्री विजय सिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.................असल प्रतिवादीगण

(दावा दिलाये जाने दखल बाबत)

उपस्थित अभिभाषकगण –
1. श्री धर्मपाल चौधरी एडवोकेट – वादीगण
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – प्रतिवादीगण

<u>पर्चा डिक्री</u>

अतः दावा डिक्री कर तहसीलदार रामगढ को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त आराजीयात में बकाश्त देवीसिंह, विजयसिंह पिता गणपतसिंह समान भाग सा0 देह शिकमी का नाम तर्क कर आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर से प्रतिवादीगणों को बेदखल कर खातेदार अमरसिंह 1/2 भाग एवं रतन सिंह के 1/4 भांग में उसके वारिसान हुकमसिंह, नरेन्द्रसिंह, कमलसिंह, मोहन सिंह की बीवी पिंकी एवं तीन नाबालिग पुत्र एवं पुत्रियान रोहित, शैली, डोली जर्ये सरपरस्त माता खुद पिंकी, रतन सिंह की पत्नी ललता देवी को, किशन सिंह के 1/4 भाग में उसके वारिसान श्रीमती शीला, श्रीमती गायत्री, सविता, कविता उर्फ किरण पुत्रियान एवं ईश्वर सिंह पुत्र को जमाबन्दी के अनुसार उनके हिस्से पर कब्जा दिलाया जावें। रिसीवर के दौरान प्राप्त समस्त राशि को जमाबन्दी अनुसार उनके हिस्से की राशि का भुगतान कर दिया जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

05.08.19

महेश चन्द्र मान
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)